संख्या:02/2021/2017/46-1-20-1000(18)/2019

प्रेषक,

बच्चू लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी,
सहारनपुर, मुज़फ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, बुलन्दशहर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, सम्भल, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर-खीरी, सीतापुर, हरदोई, आयोध्या, अम्बेडकर नगर, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 09 जनवरी, 2021

विषय- अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये सम्पर्क मार्गों का निर्माण के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 (एस.सी.एस.पी.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र. के पत्र संख्या: 1028/सी/12-निर्माणः अ.ग्रा., दिनांक 18.12.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में यातायात की सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये सम्पर्क मार्गों का निर्माण योजना हेतु निर्धारित फण्डिग पैटर्न 80:20 के अनुसार 80 प्रतिशत राज्यांश के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित राज्यांश की धनराशि रू.1500.00 लाख के सापेक्ष जनपद सहारनपुर, मुज़फ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, बुलन्दशहर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, सम्भल, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर-खीरी, सीतापुर, हरदोई, आयोध्या, अम्बेडकर नगर, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर केकुल 47 सम्पर्क मार्गों/सड़कों का निर्माण कार्य कराने हेतु संलग्नक में 47 सम्पर्क मार्गों के स्तम्भ-6 में अंकित लागत रू.1880.860 लाख (रूपये अट्ठारह करोड़ अस्सी लाख छियासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं स्तम्भ-8 में प्राविधानित राज्यांश की धनराशि सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में **रू.749.999 लाख (रूपये सात करोड़ उनचास लाख निन्यानवे हजार नौ सौ मात्र)** की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) परिषद अंश की धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही जनपद विशेष के लिए स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उसी सीमा तक धनराशि आहरित की जायेगी, जिस सीमा तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जनपद की जिला योजना में धनराशि का प्राविधान/आवंटन किया जा रहा है।

(2) जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा राज्यांश का भुगतान तभी किया जायेगा जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये आगणनों के अनुसार ही व्यय किया गया होने की पुष्टि कर दी जाय।

(3) कार्य की विशिष्टियॉ मानक व गुणवत्ता के साथ कराये जाने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था तथा जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी की होगी। निहित प्रयोजन से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे व्यय करने के संबंध में प्रस्तर- अनुसार शासकीय अंशदान के सापेक्ष जिला अनुश्रवण समिति के अतिरिक्त कार्ययोजना स्वीकृत कराकर उस पर शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में अवशेष धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

(4) समस्त कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था, अभियंत्रण शाखा कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. होगी। समस्त कार्य निर्धारित एवं अनुमोदित मानकों तथा विशिष्टियों के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष में सम्पादित कराये जायेंगे। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विष्शिटियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो उक्त परिवर्तन/विचलन स्वीकृत मूल आगणन में 5 प्रतिशत की सीमा तक अवर अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा तैयार विचलन जिला गन्ना अधिकारी/अधिशासी अभियंता की संस्तुति पर अधीक्षण अभियंता द्वारा तथा 5 प्रतिशत से अधिक के विचलन/व्याधिक्य पूर्ति हेतु स्वीकृति अधीक्षण अभियंता की संस्तुति पर मुख्य अभियंता के द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जायेगी कि प्रस्तावित कार्यों के विचलन/व्याधिक्य पूर्ति हेतु बजटीय प्राविधान सम्बन्धित जनपद के अन्तर्गत उपलब्ध है।

(5) सेंटेज चार्जेज की धनराशि शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25-01-2011 तथा शासनदेश संख्या-ए-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11-11-2014 की व्यवस्थानुसार अनुमन्य होगी। प्रस्तर 1-में स्वीकृत धनराशि में संलग्नक के स्तम्भ-10 में अंकित सेटेंज की धनराशि जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर सीधे ही कार्यदायी संस्था, अभियन्त्रण शाखा, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र; को दी जायेगी।

(6) उक्त योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान बजट में निर्धारित सीमा के अन्दर किया जायेगा तथा योजना के संचालन का मूल्यांकन करते हुए उसकी रिपोर्ट शासन/वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति (दिनांक 31.03.2021) से पूर्व अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) आवंटित धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैन्ड बुक/ बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय। इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24-03-2020 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से एप्रेजल (Appraisal) एवं तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(9) स्वीकृति धनराशि प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद हेतु व्यय की जायेगी जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की गयी है। ऑकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता सुनिश्चित करेंगे।

(10) यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(11) कार्य की विशिष्टयॉ मानक व गुणवत्ता आदि सुनिश्चित किया जायेगा तथा यथासमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) योजना में निहित राज/सहायता अनुदान का लेखा-जोखा रखने तथा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय-विवरण महालेखाकार, प्रयागराज तथा वित्त विभाग एवं शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार, प्रयागराज से लेखाओं के नियमित मिलान की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ की होगी।

(13) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर धनराशि का आहरण निर्माण कार्य हेतु तत्कालीन आवश्यकता होने पर ही आवश्यक धनराशि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाय। आहरित धनराशि बैंक/पी.एल.ए./पोस्ट आफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(14) शासनादेश के अनुसार स्वीकृत निर्माण कार्यों के सापेक्ष प्रस्तावित कार्य को पूर्ण कर लिये जाने पर पारदर्शिता तथा सामान्यजन को पूर्ण जानकारी प्राप्त होने के दृष्टिगत पूर्ण कार्यों का विविरण विभागीय वेबसाइट पर जनपदीय अधिकारियों के द्वारा अनिवार्य रूप से अपलोड भी किया जायेगा।

2. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-09-अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये सम्पर्क मार्गों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-29/दस-2021, दिनांक 08 जनवरी, 2021 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(संलग्नक-उपर्युक्तानुसार।)

भवदीय,

(बच्चू लाल)
संयुक्त सचिव

संख्या:02**/2021/2017(1)/46-1-20-1000(18)/2019, तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज
3. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्ष), उ.प्र., छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4. गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित धनराशि/बजट को सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से जनपदों को आवंटित करने का कष्ट करें।
6. संबंधित जनपदों से सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
7. संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।
8. संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।
9. संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
10. नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1/2
11. वित्त (व्यय (नियंत्रण-अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
12. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:02/2021/2017/46-1-20-1000(18)/2019, दिनांक 09 जनवरी, 2021 का संलग्नक।

क्रं .सं.	जनपद	सं.	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	अनुमानित लागत (लाख रू.)	राज्यांश की धनराशि (लाख रू.)	राज्यांश की धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (लाख रू.)	सेन्टेज की धनराशि (लाख रू.)	सेन्टेज की कुल धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (लाख रू.)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज रहित धनराशि (लाख रू.)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज रहित कुल धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (लाख रू.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सहारनपुर	1	दीवालहेडी बास्तम मार्ग	0.900	39.801	31.742	15.871	3.506	1.753	28.236	14.118
	सहारनपुर	2	फतेहपुर मल्हीपुर मार्ग	0.800	33.844	26.991	13.496	2.981	1.490	24.010	12.006
	सहारनपुर	3	बगडौली से पाण्डोखेडी अवशेष मार्ग	0.550	29.147	23.245	11.622	2.568	1.284	20.677	10.338
		3	**योग जनपद-**	**2.250**	**102.792**	**81.978**	**40.989**	**9.055**	**4.527**	**72.923**	**36.462**
2	मु.नगर	1	भिक्की से बेहडा मार्ग	1.080	42.567	33.947	16.973	3.750	1.875	30.197	15.098
	मु.नगर	2	गंगनहर से दूधली मार्ग	0.450	21.227	16.929	8.465	1.870	0.935	15.059	7.530
	मु.नगर	3	गोयला कल्याणपुर मार्ग शाहजुडडी अवशेष भाग	0.810	36.990	29.500	14.750	3.258	1.629	26.242	13.121
	मु.नगर	4	खाईखेडी से दो मुही राजवाहे तक	1.040	41.060	32.746	16.373	3.617	1.808	29.129	14.565
	मु.नगर	5	पचेण्डा मार्ग से बढेडी मार्ग	0.590	24.250	19.340	9.670	2.136	1.068	17.204	8.602
	मु.नगर	6	जागाहेडी सम्पर्क मार्ग	0.350	15.380	12.266	6.133	1.355	0.678	10.911	5.455
		6	**योग जनपद-**	**4.320**	**181.474**	**144.728**	**72.364**	**15.986**	**7.993**	**128.742**	**64.371**
3	शामली	1	ग्राम ईस्माइलपुर मेन रोड से मदन सैनी के मकान तक	0.110	7.530	6.005	3.003	0.663	0.332	5.342	2.671
	शामली	2	ग्राम कुतुबगढ में पीतम सिंह पुत्र पुरण सिंह के मकान से शोराज सैनी के मकान तक	0.210	17.322	13.814	6.907	1.526	0.763	12.288	6.144
	शामली	3	ग्राम खेडकी मे शिव मन्दिर के सामने सीसी रोड	0.110	8.721	6.955	3.478	0.768	0.384	6.187	3.094
	शामली	4	चन्देनामाल से सहारनपुर सीमा का अवशेष भाग	1.240	58.000	46.255	23.127	5.109	2.554	41.146	20.573
	शामली	5	गन्देवडा नहर की पटरी बाईपास मार्ग	0.805	41.280	32.921	16.460	3.636	1.818	29.285	14.642
		5	**योग जनपद-**	**2.475**	**132.853**	**105.950**	**52.975**	**11.702**	**5.851**	**94.248**	**47.124**

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4	मेरठ	1	खेडा बलरामपुर से जहावीर माड़ी से होते हुए चन्दसारा ग्राम तक मार्ग	1.600	83.144	66.308	33.154	7.324	3.662	58.984	29.492
		1	**योग जनपद-**	**1.600**	**83.144**	**66.308**	**33.154**	**7.324**	**3.662**	**58.984**	**29.492**
5	बागपत	1	बूढपुर राजवाहे-से फतेहपुर चक तक मार्ग।	0.700	41.462	33.066	16.533	3.652	1.826	29.414	14.707
		1	**योग जनपद-**	**0.700**	**41.462**	**33.066**	**16.533**	**3.652**	**1.826**	**29.414**	**14.707**
6	गाजियाबाद	1	ग्राम त्रिवडा बाइपास से ग्राम सीकरी मार्ग का तृतीय भाग	0.300	15.281	12.187	6.094	1.346	0.673	10.841	5.421
		1	**योग जनपद-**	**0.300**	**15.281**	**12.187**	**6.094**	**1.346**	**0.673**	**10.841**	**5.421**
7	हापुड़	1	हापुड़ सपनावत रोड चित्तौड़ी भट्टा से ग्राम चित्तौली मार्ग	0.780	40.940	32.650	16.325	3.606	1.803	29.044	14.522
		1	**योग जनपद-**	**0.780**	**40.940**	**32.650**	**16.325**	**3.606**	**1.803**	**29.044**	**14.522**
8	बुलन्दशहर	1	जहांगीराबाद औरंगाबाद मार्ग पर हनुमान मन्दिर से टिटौटा मार्ग द्वितीय भाग	0.600	33.728	26.898	13.449	2.971	1.485	23.927	11.964
		1	**योग जनपद-**	**0.600**	**33.728**	**26.898**	**13.449**	**2.971**	**1.485**	**23.927**	**11.964**
9	बिजनौर	1	नसीरपुर से शेरपुर कल्याण मार्ग	0.945	45.240	36.079	18.040	3.985	1.993	32.094	16.047
	बिजनौर	2	सद्दोबेर (बेरखारामनगर (टांडा मार्ग से मिर्जालीपुर मार्ग तक	0.730	45.269	36.102	18.050	3.988	1.994	32.114	16.056
	बिजनौर	3	चान्दपुर फीना मार्ग पर प्याऊ से ताहरपुर मार्ग	1.100	57.228	45.640	22.820	5.041	2.520	40.599	20.300
		3	**योग जनपद-**	**2.775**	**147.737**	**117.821**	**58.910**	**13.014**	**6.507**	**104.807**	**52.403**
10	अमरोहा	1	ग्राम मदीपुरा प्रथमा बैंक से ग्राम भटपुरा प्राथमिक विघालय तक।	0.850	42.438	33.845	16.923	3.738	1.869	30.107	15.054
		1	**योग जनपद-**	**0.850**	**42.438**	**33.845**	**16.923**	**3.738**	**1.869**	**30.107**	**15.054**
11	मुरादाबाद	1	कुडेंसरा मार्ग से पीपली उमर ग्राम तक	0.900	60.866	48.541	24.271	5.362	2.681	43.179	21.590
		1	**योग जनपद-**	**0.900**	**60.866**	**48.541**	**24.271**	**5.362**	**2.681**	**43.179**	**21.590**
12	सम्भल	1	बदुआ से अड्डा आश्रम होते हुए अतौरा रोड तक	1.460	72.691	57.972	28.986	6.403	3.201	51.569	25.785
		1	**योग जनपद-**	**1.460**	**72.691**	**57.972**	**28.986**	**6.403**	**3.201**	**51.569**	**25.785**
13	रामपुर	1	माटखेडा रोड से भोगपुर कालोनी तक	0.425	20.280	16.173	8.087	1.786	0.893	14.387	7.194
		1	**योग जनपद-**	**0.425**	**20.280**	**16.173**	**8.087**	**1.786**	**0.893**	**14.387**	**7.194**
14	बरेली	1	ग्राम कुड्डा से पखुरनी	1.100	64.629	51.542	25.771	5.693	2.846	45.849	22.925

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		1	**योग जनपद-**	**1.100**	**64.629**	**51.542**	**25.771**	**5.693**	**2.846**	**45.849**	**22.925**
15	पीलीभीत	1	जहानाबाद अमरिया रोड से बिसेन गाँव तक प्रथम भाग	0.800	42.420	33.830	16.915	3.737	1.869	30.093	15.046
		1	**योग जनपद-**	**0.800**	**42.420**	**33.830**	**16.915**	**3.737**	**1.869**	**30.093**	**15.046**
16	शाहजहांपुर	1	गुरूद्वारा (ग्राम कुवांडांडा (से बहेलियों वाले कुवांडाडा तक प्रथम भाग	1.050	65.042	51.871	25.935	5.729	2.864	46.142	23.071
		1	**योग जनपद-**	**1.050**	**65.042**	**51.871**	**25.935**	**5.729**	**2.864**	**46.142**	**23.071**
17	लखीमपुर खीरी	1	ग्राम जरिया से मियापुर अवशेष भाग	0.286	23.231	18.527	9.264	2.046	1.023	16.481	8.241
	लखीमपुर खीरी	2	सेमरावाँ मझिगवाँ मार्ग से सेमरहिया ग्राम तक	0.400	29.527	23.548	11.774	2.601	1.301	20.947	10.473
	लखीमपुर खीरी	3	पटिहन से सरबरनगर घोला मार्ग	0.600	41.395	33.013	16.506	3.646	1.823	29.367	14.683
	लखीमपुर खीरी	4	दलनगर मेहर सिंह के खेत से दर्शन सिंह शेखो के बाग तक	0.850	53.209	42.435	21.217	4.687	2.343	37.748	18.874
	लखीमपुर खीरी	5	मूडाबुजुर्ग से ग्राम रायपुर सम्पर्क मार्ग तक	0.360	29.987	23.915	11.957	2.641	1.320	21.274	10.637
	लखीमपुर खीरी	6	पीलीभीत बस्ती मार्ग से ग्राम खानीपुर में आशा सिंह के घर तक बाया गुरद्वारा	0.350	23.370	18.638	9.319	2.059	1.030	16.579	8.289
	लखीमपुर खीरी	7	लौकहा चौराहें से नहर तक सम्पर्क मार्ग	0.460	29.135	23.235	11.618	2.566	1.283	20.669	10.335
		7	**योग जनपद-**	**3.306**	**229.854**	**183.311**	**91.655**	**20.246**	**10.123**	**163.065**	**81.532**
18	सीतापुर	1	कुम्हारनपुरवा नहर पटरी से गढी डामर रोड तक	0.750	65.168	51.972	25.986	5.741	2.870	46.231	23.116
	सीतापुर	2	गौसापुर से पंगराई मार्ग	0.650	45.039	35.919	17.959	3.967	1.984	31.952	15.975
		2	**योग जनपद-**	**1.400**	**110.207**	**87.891**	**43.945**	**9.708**	**4.854**	**78.183**	**39.091**
19	हरदोई	1	ग्राम मोहाई से (पतसेनी) भीरीघाट लखनऊ रोड मार्ग -तक भाग1	1.100	81.045	64.634	32.317	7.139	3.570	57.495	28.747
		1	**योग जनपद-**	**1.100**	**81.045**	**64.634**	**32.317**	**7.139**	**3.570**	**57.495**	**28.747**
20	अयोध्या	1	केशवपुर अंजना-सम्पर्क मार्ग से मोहर्रमपुर तक	0.600	40.000	31.900	15.950	3.524	1.762	28.376	14.188
		1	**योग जनपद-**	**0.600**	**40.000**	**31.900**	**15.950**	**3.524**	**1.762**	**28.376**	**14.188**
21	अम्बेडकर नगर	1	ग्राम कान्दीपुर दलहा पी से .सी.रहीमाबाद	0.400	22.039	17.576	8.788	1.941	0.971	15.635	7.817
		1	**योग जनपद-**	**0.400**	**22.039**	**17.576**	**8.788**	**1.941**	**0.971**	**15.635**	**7.817**

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

22	गोण्डा	1	ग्राम पंचायत चान्दपुर में प्राथमिक विद्यालय से जसनपुरवा तक	0.735	47.328	37.744	18.872	4.169	2.084	33.575	16.788
		1	**योग जनपद-**	**0.735**	**47.328**	**37.744**	**18.872**	**4.169**	**2.084**	**33.575**	**16.788**
23	बलरामपुर	1	ग्राम पंचायत बकठौरवा में भैरूपुर प्राथमिक स्कूल से रमुआपुर का अवशेष (द्वितीय भाग)	0.200	18.201	14.515	7.258	1.603	0.802	12.912	6.456
	बलरामपुर	2	भवनीयापुर से युवराजपुर का अवशेष (द्वितीय भाग)	0.550	38.339	30.576	15.288	3.377	1.688	27.199	13.600
		2	**योग जनपद-**	**0.750**	**56.540**	**45.091**	**22.546**	**4.980**	**2.490**	**40.111**	**20.056**
24	बहराईच	1	जैतापुर बेहटा चूण्डामणि से पण्डिलपुरवा	0.600	41.260	32.905	16.452	3.635	1.818	29.270	14.634
		1	**योग जनपद-**	**0.600**	**41.260**	**32.905**	**16.452**	**3.635**	**1.818**	**29.270**	**14.634**
25	बस्ती	1	रसूलपुर में मन्दिर से तरेता मार्ग	0.500	37.380	29.811	14.905	3.293	1.647	26.518	13.258
		1	**योग जनपद-**	**0.500**	**37.380**	**29.811**	**14.905**	**3.293**	**1.647**	**26.518**	**13.258**
26	कुशीनगर	1	जंगल शाहपुर भेड़ीहारी टोला पंचायत भवन से लोक निर्माण विभाग मार्ग तक	0.950	67.430	53.776	26.888	5.940	2.970	47.836	23.918
		1	**योग जनपद-**	**0.950**	**67.430**	**53.776**	**26.888**	**5.940**	**2.970**	**47.836**	**23.918**
		47	**महायोग**	**32.726**	**1880.860**	**1499.999**	**749.999**	**165.679**	**82.839**	**1334.320**	**667.160**

(रूपये सात करोड़ उनचास लाख निन्यानवे हजार नौ सौ मात्र)

(सुशील कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।